न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – सोहन लाल, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 197/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. ओमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2. हरीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 21/3/2022

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 7.3134 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 13.5832 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पति अर्जुनसिंह पुत्र पाबूदान जाति राजपूत निवासी रावर तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। अर्जुनसिंह के दो पुत्र ओमसिंह, हरिसिंह है। खातेदार अर्जुनसिंह का देहान्त सन् 1974 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पति अर्जुनसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 84 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश पन्नेकंवर नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम गुलाबकंवर है। वादी को घर में लाड प्यार से पन्नेकंवर पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम गुलाबकंवर लिखा हुआ है। जब वादी के पति अर्जुनसिंह का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 84 में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पन्नेकंवर लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम गुलाबकंवर है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गयी और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम गुलाबकंवर लिखा हुआ है और जमाबन्दी में पन्नेकंवर लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने पन्नेकंवर के स्थान पर गुलाबकंवर नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी गुलाबकंवर व पन्नेकंवर एक ही औरत है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दामोदर नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से पन्नेकंवर पुकारते है, इस कारण वादी के पति अर्जुनसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम पन्नेकंवर दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज गुलाबकंवर नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की तरफ से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जवाब दावा में वादी का वाद स्वीकार कर पन्नेकंवर पत्नी अर्जुनसिंह (पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह) के स्थान पर गुलाबकंवर पत्नी अर्जुनसिंह की दुरूस्ती करने की सहमति प्रदान की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गयी। इस कारण दावे में तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दावे के साथ जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 10, 122, 126, 637 ग्राम रावर, नामान्तकरण संख्या–84, आधारकार्ड गुलाबकंवर, पहचान पत्र गुलाबकंवर, राशनकार्ड गुलाबकंवर, जन आधार कार्ड गुलाबकंवर, बैंक डायरी गुलाबकंवर आदि को पेश किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम गुलाबकंवर पत्नी अर्जुनसिंह दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी की खातेदारी पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गुलाबकंवर पत्नी अर्जुनसिंह की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 7.3134 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 13.5832 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पन्नेकंवर पत्नी अर्जुनसिंह (पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह) के स्थान पर श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी अर्जुनसिंह की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सोहन लाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/3/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन लाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास सोहन लाल, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. ओमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2. हरीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 197/2021

निर्णय दिनांक :– 21/3/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 2.5322 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.4158 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 7.3134 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 13.5832 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में पन्नेकंवर पत्नी अर्जुनसिह (पन्नेकंवर पत्नी हरीसिंह) के स्थान पर श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी अर्जुनसिंह की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/3/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सोहन लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा